प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 01087/2022-2023 | दिनांक 30/07/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/KUS/06945/2022-2023 | पत्रावली संख्या:G-60085 | दिनांक:2017-2018

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **आरके एसोसिएशन, वार्ड नं॰-21 बुद्धनगरी, पो॰-कसया, तहसील-कसया जनपद कुशीनगर उ॰प्र॰, कुशीनगर , 274401** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 956/2017-2018 दिनांक-27/07/2017 को दिनांक-27/07/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है ।
1000 रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

Digitally Signed By
(Ajay Kumar Shahi)
0097FB1C47DF3F7B5BB0589C12A76E5CD27FC364
Date: 30/07/2022 2:12:58 PM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-30/07/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

Principal
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Manager
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Scanned with AltaScanner

संशोधित नियमावली

1– संस्था का नाम :– आरके एसोसिएशन ।

2– संस्था का पूरा पता :– वार्ड नं0–21,बद्धनगरी पो० कसया तह0 कसया जनपद कुशीनगर ।

3– संस्था का कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।

4– संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :–

आजीवन सदस्य :– जो व्यक्ति इस संस्था को अपनी स्वेच्छा से 5001/–रूपया नगद अथवा चेक के माध्यम से या इतने ही मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा ।

विशिष्ट सदस्य :– संस्था के प्रति हितैषी भाव रखने वाला सम्मानित व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर संस्था को वार्षिक सहायता देने वाला व्यक्ति संस्था का विशिष्ट सदस्य माना जायेगा।

साधारण सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था को वार्षिक 501 नगद देता रहेगा वह संस्था का साधारण सदस्य माना जायेगा ।

5. सदस्यता की समाप्ति :–

निम्न परिस्थितियों में किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है ।

1– मृत्यु होने पर ।
2– पागल अथवा दिवालिया होने पर ।
3– संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4– त्याग पत्र या अविश्वास प्रस्ताव रखने पर पारित होने पर ।
5– संस्था के सम्पत्ति का अपव्यय करने पर ।
6– किसी न्यायालय में दण्डित होने पर ।
7– सदस्यता शुल्क न देने पर।
8– लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।
9– पद का दुरुपयोग एवं वित्तिय अनियमितता करने पर ।

6. संस्था के अंग–

अ– साधारण सभा ब–प्रबन्धकारिणी समिति।

7. साधारण सभा –

क– गठन – सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।

ख– बैठक – साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है ।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Principal
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Manager
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Scanned with AltaScanner

7– संस्था के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक एवं निर्बल और निम्न आर्य वर्ग हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी कराने का प्रयास करना ।

8– समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा, शिक्षा गारन्टी योजना के बारे में लोगों को ज्ञान करवाना व शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना ।

9– दिव्यांग, शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगों हेतु कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन करना तथा रहने हेतु निःशुल्क आश्रम बनवाना ।

10– विकलांग बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना व निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करने का प्रयास करना ।

11– बालश्रम विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय का प्रबन्ध करना व बालक / बालिकाओं के लिए हास्टल का प्रबन्ध करना ।

12– संस्था के माध्यम से शासन से पूर्व अनुमति लेकर रोजगार परक मिनी आई.टी.आई खोलना व संचालित करना एवं रोजगार के साधन उपलब्ध कराना ।

13– कृषि कार्य हेतु कृषि से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना व आधुनिकतम व विकसित तरीके से कृषि, पशुपालन व दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना ।

14– औषधि कार्यों के लिए जड़ी–बुटियों, जैविक खेती के बारे में लोगों को जानकारी देना व जैविक खाद विस्तार कार्यक्रमों के द्वारा जैविक खेती की जानकारी देकर लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना व औषधिय पौधों का रोपड़ एवं संरक्षण करना ।

15– संस्था के माध्यम से परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यों का संचालन करना व लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना व योग के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद व होम्योपैथ के बारे जानकारी कराने का प्रयास करना व रोगियों को लाने व ले जाने हेतु एम्बुलेन्स की व्यवस्था कराना ।

16– संस्था के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में योग्य एवं अनुभवी चिकित्सकों के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बन्धी टीकाकरण सम्बन्धी कार्यों व निःशुल्क चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर का आयोजन करवाना व सरकार द्वारा चलायी जा रही स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करना व पल्स पोलियो, एड्स, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर हैजा, मलेरिया, टी.वी जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम का प्रयास करना ।

17– जल संरक्षण, जल संचयन, जलचक्र व जल संशोधन तथा स्वजलधारा से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना तथा जल प्रदुषण के खिलाफ राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शोध केन्द्रों, नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना एवं जल संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करना ।

18– संस्था के माध्यम से भेड़, बकरी, मुर्गी पालन को बढ़ावा देना व पशुओं के रहने के लिए पशुवाड़ा की स्थापना करना व दुग्ध डेयरी का संचालन व विस्तार करना ।

19– उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना ।

Principal
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Manager
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Scanned with AltaScanner

20– शासन, प्रशासन के सहयोग से नाली, सीवर, खडजा, पार्क, पुलिया बनवाना व स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करना ।

21– निर्धन तथा कमजोर वर्ग के बालक/बालिकाओं, को निःशुल्क छात्रावास व पुस्तकालय का प्रबन्ध करना ।

22– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों तथा उ0प्र0 सरकार, भारत सरकार व अन्य राज्यों की सरकारों व विदेशी संगठनों के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी देना।

23– दहेज प्रथा, अंध विश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना ।

24– बाल विकास व बाल चिकित्सा हेतु यूनिसेफ, आई.एल.ओ. यूनेस्को, सिडवी, नवार्ड, कपार्ट, यूनिफेम एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करना व संचालित योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना ।

25– महिला उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार की रोकथाम शासन के सहयोग से करना।

26– विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना, विद्यालय, आश्रम पद्दित विद्यालय व आवासीय/अनावासीय विद्यालयों व शोध केन्द्रों की निःशुल्क स्थापना करना ।

27– आम जनता के उपयोग के लिए धर्मार्थ कम्यूनिटी हाल, बारात घर, महिला आश्रम अनाथालय, प्याऊ, धमार्थ डिस्पेन्सरी व निःशुल्क स्टूडियो, रात्रि निवास, शार्ट स्टे होम, मूक बधिर कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना ।

28– बालिकाओं/महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार/आक्रमण की रोकथाम हेतु बालिकाओं/महिलाओं को आवश्यक जानकारी देना व अविवाहित माता, दैनिक पारिवारिक हिंसा, दहेज प्रथा, दहेज पीड़ित से ग्रस्त को मुक्ति दिलाने का प्रयास करना व गरीब, असहाय लडकियों की शादी करवाना व सामूहिक विवाहों का आयोजन करवाना व नारी सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यो का प्रचार–प्रसार करना ।

29– प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित सामाग्रियों का समुचित प्रबन्धन करते हुए पर्यावरण के अनुकूल जीवन पद्दति विकसित करना व पर्यावरण नियन्त्रण हेतु कार्य करना ।

30– वन सम्पदा के दोहन को रोकने के लिए प्रोत्साहित करना व पर्यावरण के गुणों के बारे में जानकारी देना व प्रदुषण नियन्त्रण हेतु प्रयास करना ।

31– गौशाला खुलवा कर पशुपक्षियों की सेवा करना व जीव–जन्तुओं के कल्याणार्थ कार्य करना।

32– दैवी आपदा, बाढ़, भूकम्प, सूखा, हैजा, प्लेग, महामारी व अन्य बीमारियों में शासन व प्रशासन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन–साधारण की हर तरह से सहायता करना ।

33– खेलों को बढावा देना, खेलों के प्रति गावों एवं शहरों में अभिरूचि पैदा करना व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना ।

34– संस्था के माध्यम से शासन से पूर्व अनुमति लेकर नर्सिंग कोर्स, टीचर्स ट्रेनिंग, इंजि0 कालेज, मेडिकल कालेज की स्थापना व संचालन करना ।

Principal
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ0 प्र0)

Manager
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Scanned with AltaScanner

35– संस्था के माध्यम से सरकार द्वारा जारी स्वारोजगार परक योजना में सहायता व सहयोग करके शिक्षित बेरोजगारों को जानकारी देने का प्रयास करना ।

36– देश की बढती जनसंख्या, बेरोजगारी तथा भिक्षावृति की रोकथाम का प्रयास करना ।

37– समाज के सभी वर्ग के बालक बालिकाओ के शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर, डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर एवं विज्ञान एवं मैनेजमेन्ट, मेडिकल कालेज इंजीनियरिंग कालेज, टेक्निकल, प्रोफेशनल कालेजो एवं लॉ कालेजो की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसका संचालन करना ।

38– नवयुवक एवं नवयुवतियो को मकैनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेड के साथ ही व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं रचनात्मक दिशा देने के लिए लघु उद्योगो, प्राविधिक शिक्षा, प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना एवं कम्प्यूटर शिक्षा से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रशिक्षण देकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना।

39– निर्बलों के उत्थान हेतु कम्प्यूटर शिक्षा एवं उपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना तथा सामान्य जन में चेतना जागृत करना सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।

40– समाज मे व्यवसायपरक कम्प्यूटर शिक्षा को बढावा देने के लिए सभी प्रकार के शिक्षा सम्बन्धी एवं बिजनेस मैनेजमेन्ट कम्प्यूटर शिक्षा सम्बन्धी सभी आवश्यक कॉलिजों की स्थापना करना।

41– भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना जैसे कौशल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, प्रधानमंत्री उज्जवला गैस, डिजिटल इण्डिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंण्डिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधान जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, राष्ट्रीय बाल स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इत्यादी का प्रचार प्रसार करना तथा योजनाओ के बारे मे लोगो को निःशुल्क जानकारी व जागरूक करना तथा लोगो को उपरोक्त योजनाओ के तहत स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

42– समाज के उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं के स्थापनार्थ एवं संचालन से सम्बन्धित कार्य करना तथा समाज के पिछडे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की महिलाओं हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे–कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर, डी०टी०पी०, सिलाई कढाई, बुनाई, पेन्टिंग, फलसंरक्षण, रेक्सीन कला, गृहसज्जा, आचार, मुरब्बा, माचिस, पत्तल, अगरबत्ती, मसाला, ब्युटीपार्लर की जानकारी देना तथा खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन बोर्ड, हथकरघा, हस्तशिल्प कला, चमडा उद्योग, रैक्सीन कला से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना।

Krishna G.K.

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Principal
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Manager
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Scanned with AltaScanner

43— समाज के पिछड़े वर्ग हेतु औद्योगिक जैसे टाइपिंग, कम्प्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, टर्नर, इलैक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, रेडियो ट्रेनिंग, लघु तथा कुटीर उद्योग, मोटर बाईडिंग, टी० वी० प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के प्रति प्रयास करना तथा प्रशिक्षण संस्थानो की स्थापना कर उसे संचालित करना।

44— कृषि विकास हेतु आधुनिक कृषि यंत्रों, उर्वरक, बीज, सिंचाई के साधन, तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य जानकारी कृषको को निःशुल्क दिलाना। जिससे कृषि उपज को बढ़ावा मिल सके एवं उद्यान विभाग, मशरूम बोर्ड, कृषि विभाग उ०प्र०, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित कार्यक्रमो का प्रचार प्रसार करना तथा जड़ी बूटियो एवं प्राकृतिक वनौषधियो को उगाना एवं उनकी उपयोगिता के बारे में लोगो को जानकारी देना तथा लोगो को निःशुल्क वितरण करना।

45— पशुपालन, गौ पालन व गौशाला व मत्स्य पालन, ईमू पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन रेशम कीट पालन, भेड़ो का पालन तथा उपयोगी पशु पक्षियों के पालन तथा उनसे प्राप्त होने वाले वस्तुओ के उपयोग को जन जन तक पहुँचा कर उनकी उपयोगिता के लाभ को समाज के हर वर्गों तक पहुचाने के सभी कार्य करना।

46— महिलाओं/बालिकाओं/युवाओ को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्पकला, ललितकला, संगीत गायन, वादन, नाटक, कवि गोष्ठियो तथा सांस्कृति के विकास, डांस कम्पीटशन, चिकन जरी, डाल मेकिंग, फ्लावर, मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिन्टिग, आफसेट प्रिंटिंग, पेन्टिग, वाल पेन्टिग, खादी एवं हस्त शिल्पकला, मिट्टी के बर्तन एवं कलात्मक वस्तुओं का निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमे स्वालम्बन की भावना जागृत करना।

47— खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उ०प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति एवं पैटर्न के अनुसार काष्ठ कला, लौहकला एवं अन्य ग्रामोद्योग इकाईयो की स्थापना प्रचार प्रसार व संचालन करना।

48— मशरूम उत्पादन, कृषको की गोष्ठियो का आयोजन, बागवानी, हॉर्टिकल्चर विभाग के माध्यम से नर्सरी, कृषको को नई तकनीकी पत्तल, अचार, जैम, जैली, मुरब्बा, अनाज दाल प्रशाधन खाद्य प्रसंस्करण आदि का महिलाओं/युवाओ का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना एवं महिला समूहो/युवा केन्द्रो की स्थपना व संचालन करना तथा राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव शिविरो का आयोजन करना एवं पशुपालन तथा डेरी मिल्क इकाई विभिन्न प्रकार के ग्रामोद्योग तथा कुटीर उद्योग, मछली पालन, मुर्गी पालन, मक्खी पालन तथा रेशम कीट का पालन, शेरीकल्चर उद्योग की जानकारी करना।

49— गॉव में उपलब्ध अस्थायी कृषि वेस्ट, किचन वेस्ट, गोबर तथा अन्य बेकार प्रदार्थो का समुचित उपयोग करते हुए नवीनतम तकनीकी को अपनाने हेतु प्रेरित करना तथा इससे सम्बन्धित प्रशिक्षण देकर उसका संचालन करना तथा ग्राम्य विकास के लिए योजनाये बनाना तथा उसे क्रियान्वित कराना एवं ग्रामीण तथा शहरी अंचल मे कूड़े-कचरे के प्रबंधन

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Manager
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Principal
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Scanned with AltaScanner

की उचित व्यवस्था करना एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय, पेय जल एवं अन्य स्वच्छता कार्यक्रमों का संचालन करना।

50– राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने तथा उससे सम्बन्धित हर संभव प्रयास एवं कार्य करना।

(5) संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पता, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है :–

क्र0 सं0	नाम	पिता / पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	श्री हृषिकेश पाण्डेय	श्री बालकृष्ण पाण्डेय	अध्यक्ष	ग्राम झुगवाँ पो0 व जिला कुशीनगर।	समाजसेवा
2	श्री कृष्णा पाण्डेय	श्री गिरिजेश पाण्डेय	उपाध्यक्ष	ग्राम झुगवाँ पो0 व जिला कुशीनगर।	समाजसेवा
3	श्री नलनीकान्त पाण्डेय	श्री सम्पूर्णानन्द पाण्डेय	सचिव	ग्राम झुगवाँ पो0 व जिला कुशीनगर।	समाजसेवा
4	श्री गिरजेश पाण्डेय	श्री लक्ष्मण पाण्डेय	उपसचिव	ग्राम झुगवाँ पो0 व जिला कुशीनगर।	समाजसेवा
5	श्री बालकृष्ण पाण्डेय	श्री लक्ष्मण पाण्डेय	कोषाध्यक्ष	ग्राम झुगवाँ पो0 व जिला कुशीनगर।	समाजसेवा
6	श्रीमती पद्मावती पाण्डेय	श्री गिरजेश पाण्डेय	सदस्य	ग्राम झुगवाँ पो0 व जिला कुशीनगर।	गृहिणी
7	श्रीमती रमावती पाण्डेय	श्री सम्पूर्णानन्द पाण्डेय	सदस्य	ग्राम झुगवाँ पो0 व जिला कुशीनगर।	समाजसेवा
8	श्री कश्यप पाण्डेय	श्री सम्पूर्णानन्द पाण्डेय	सदस्य	ग्राम झुगवाँ पो0 व जिला कुशीनगर।	समाजसेवा
9	श्री रजनीकान्त पाण्डेय	श्री बालकृष्ण पाण्डेय	सदस्य	ग्राम झुगवाँ पो0 व जिला कुशीनगर।	समाजसेवा

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था के उपरोक्त संशोधित स्मृति पत्र एवं संलग्न संशोधित नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्टेशन एक्ट की धारा 21 सन् 1860 के अन्तर्गत सोसाइटी रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं।

दिनांक ....

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0 प्र0 गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता ....
मिलान कर्ता ....

Principal
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Manager
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Scanned with AltaScanner

संशोधित स्मृति पत्र

(1) संस्था का नाम – आर के एसोसिएशन
(2) संस्था का पता – वार्ड नं0 21 बुद्धनगरी पोस्ट कसया, तहसील कसया, जनपद कुशीनगर।
(3) संस्था का कार्यक्षेत्र – संपूर्ण उत्तर प्रदेश।
(4) संस्था का स्वरूप – शैक्षणिक / सामाजिक कार्य।
(4) संस्था का मुख्य उद्देश्य

1– सामाजिक विकास सम्बन्धी समस्त कार्यों का संचालन करना ।

2– संस्था के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, वाणिज्य व अन्य विषयों तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना, प्ले वे, प्राईमरी, से लेकर जू0 हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट व उच्च स्तर तक के विद्यालय, महाविद्यालय, कन्या विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, यू0पी0 बोर्ड माध्यम के विद्यालय, सी0बी0एस0ई0 माध्यम के विद्यालय, आई0सी0एस0ई0 माध्यम विद्यालय, खोलना व संचालित करना।

अन्य उद्देश्य :–

3– संस्था के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, वाणिज्य व अन्य विषयों तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना, प्ले वे, प्राईमरी, से लेकर जू0 हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट व उच्च स्तर तक के विद्यालय, महाविद्यालय, कन्या विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय यू0पी0 बोर्ड माध्यम के विद्यालय, सी0बी0एस0ई0 माध्यम विद्यालय, आई0सी0एस0ई0 माध्यम के विद्यालय,खोलना व संचालित करना।

4– समाज के अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग की बालिकाओं / महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाईनिंग, फल संरक्षण, रेक्सीनकला, गृह सज्जा, अचार, मुरब्बा, चटनी बनाने व कम्प्यूटर तकनीकी का प्रशिक्षण देना ।

5– खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन बोर्ड, हथकरघा, हस्तशिल्प कला, चमड़ा उद्योग से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना, तथा समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना ।

6– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु स्वजल धारा, पेयजल, नाली, सीवर की निःशुल्क व्यवस्था करना व मलीन बस्तियों की सफाई के कार्यों मे सहयोग करना व सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का निःशुल्क प्रचार–प्रसार करना व हौम्योपैथ के बारे मे जानकारी देना व होम्योपैथ चिकित्सालय के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराना व पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कार्य करना ।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ0 प्र0)

Principal
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Manager
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Scanned with AltaScanner

ग– **सूचना अवधि** – साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जायेगी ।

घ– **गणपूर्ति** – साधारण सभा की गणपूति कुल सदस्यों में से 2/3 होगा।

ङ– **वार्षिक अधिवेशन की तिथि** – संस्था का वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में एक बार होगा।

च– **साधारण सभा के कर्तव्य** –

1– प्रबन्ध समिति का गठन करना।

2– प्रबन्ध समिति द्वारा किया गया गत वर्षों का आय–व्यय स्वीकृत करना तथा आगामी वर्ष के लिए व्यय की संस्तुति प्रदान करना ।

3– आय–व्यय निरीक्षण के लिए निरीक्षक की नियुक्ति करना ।

4– संस्था के पूर्ण अभिलेखों पर अधिकार रखना।

5– सदस्यो के त्याग–पत्र स्वीकृत करना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना ।

8. **प्रबन्धकारिणी समिति**

क– **गठन** – प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमे 05 पदाधिकारी व 04 सदस्य होगें कुल संख्या 09 की होगी ।

ख– **बैठक** – प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक 24 घंटे पूर्व बुलाई जा सकती है।

ग– **सूचना–अवधि** – प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

घ– **गणपूर्ति** – प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यो के 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

ङ– **रिक्त स्थानों की पूर्ति** – किसी भी रिक्त स्थानों की साधारण सभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर की जायेगी ।

9. **प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य** :–

1 संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित कार्यक्रमों का चयन व उनका सफलतापूर्वक आयोजन/क्रियान्वयन करना।

2 आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना तथा वार्षिक आय व्यय का बजट बना कर साधारण सभा से अनुमोदन कराना।

3 संस्था के क्षेत्र को बढ़ाना और घटाना एवं आवश्यकता अनुसार कार्यालय का स्थानान्तरण करना।

4 कार्यकत्ताओ की नियुक्ति व मुक्ति तथा उप समितियो का गठन करना।

5 सचिव द्वारा प्राप्त हिसाब किताब व प्रगति रिपोर्ट मंजूर करना।

6 संस्था के विकास हेतु अवश्यक कार्य करना।

7 अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओ तथा अप्रवासी भारतीयो से दान एवं उपहार प्राप्त करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Principal
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Manager
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Scanned with AltaScanner

8 प्रान्तीय, केन्द्रीय सरकार, संस्था एजेंसी तथा बैंको द्वारा कार्यक्रमो के संचालन हेतु ऋण व अनुदान प्राप्त करना तथा उद्देश्यो की पूर्ति हेतु सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं खादीग्रामोद्योग/राष्ट्रीयकृत बैंक वित्तीय संस्था व्यक्ति/व्यक्तियो, विदेशी संगठनो से चन्दा, दान, उपहार ऋण व अनुदान प्राप्त करना तथा संस्था की चल-अचल सम्पत्ति के क्रय का अधिकार सर्वसम्मति से सचिव को होगा तथा संस्था के विकास के बावत संस्था की सम्पत्ति को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक मे बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने का अधिकार सचिव को होगा।

9 विशेषज्ञो, बुद्धजीवियो से परामर्श लेना तथा सलाहकार समितियो का गठन करना।

10 केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, बैंक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपार्ट व अन्य समाज सेवी संस्थाओ से दान, ऋण व अनुदान प्राप्त करना।

आई0सी0एस0ई0/सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के नियम तथा प्रतिबन्ध मान्य होगे

क विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय – समय पर नवीनीकरण कराया जाये।

ख विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनूसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो मे विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नही लिया जायेगा।

घ संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नही की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्रेषित होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

ङ संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।

च कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

छ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।

ज विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओ मे रखा जायेगा, यदि हो तो कृपया प्रबन्धकारिणी का विद्यालय के विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम क से झ तक स्वीकार है।

झ उक्त शर्तो मे बिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Principal
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Manager
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Scanned with AltaScanner

12 संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्तो को उपलब्ध कराना तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पारित आदेश का पालन करना।

13 समिति विभिन्न विश्वविद्यालय के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त कर महाविद्यालय तथा प्रशिक्षण हेतु बी0एड0,बी0पी0एड0 तथा बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण हेतु विद्यालय की स्थापना करना।

14 संस्था यदि किसी ट्रस्ट का निर्माण करती है तो समिति के नियम नियमावली एक ही होगी।

15 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओ को तैयार करना तथा संस्था संचालित विद्यालय को विभाग/शासन से सम्बद्धता कायम करना।

16 समिति द्वारा जितने भी स्कूल खोले जायेगे उसके लिए एक ही प्रबंधसमिति होगी।

कार्यकाल :— प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर 5 वर्ष का होगा ।

10. प्रबन्धसमिति के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य :—

अध्यक्ष

1— सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।
2— बैठकों को बुलाना व अनुमोदन करना ।
3— बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम करना ।

उपाध्यक्ष

1— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये समस्त अधिकारों व कर्तव्यों का निर्वहन करना ।

सचिव

1— संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना ।
2— उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं से चन्दा, दान, अनुदान, ऋण प्राप्त करना।
3— आवश्यकता पड़ने पर संस्था के कार्यों/लेखों की जाँच करना ।
4— वार्षिक बजट तैयार करना ।
5— कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नित, निष्कासन एवं निलम्बन करना ।
6— सामाजिक कार्यो व शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का संचालन व देख रेख करना ।
7— संस्था से प्राप्त धन को संस्था के हित में खर्च करने का अधिकार सचिव को होगा ।
8— संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना व ऋण, अनुदान तथा क्रय के समस्त कागजातों पर हस्ताक्षर करना ।
9— संस्था की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।
10— कर्मचारियों के कार्यो का निरीक्षण करना ।
11— चन्दा लेना व उसकी रसीद काटकर देने का अधिकार सचिव को होगा सचिव द्वारा जारी की गई रसीद ही मान्य होगी ।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स,सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Principal
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Manager
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Scanned with AltaScanner

12– समस्त अभिलेखों व प्रपत्रों को सुरक्षित रखना ।
13– संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना ।
14– राष्ट्रीय पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धर्मार्थ कार्यों का आयोजन करवाना ।
15– बैठकों की दिनांक स्थान व समय निर्धारित करना ।
16– बैठकों की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना ।

उपसचिव

1– सचिव की अनुपस्थिति में सचिव द्वारा सौंपे गये समस्त अधिकारों व कर्तव्यों का निर्वहन करना ।
2– सचिव के कार्यों में सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष

1– संस्था के लिए धन एकत्रित करना ।
2– संस्था के कोष को किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पो0आ0 में संस्था के नाम से जमा करवाना।
3– आय व्यय का लेखा जोखा रखना ।
4– आय व्यय का लेखा जोखा तैयार कर सचिव से प्रमाणित करवाना ।
5– आय व्यय का लेखा जोखा साधारण सभा में प्रस्तुत करना ।

11– संस्था के नियमों एंव विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन 2/3 बहुमत से साधारण सभा की बैठक में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किया जायेगा।

(9) संस्था का कोष –

अ) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार का सदस्यता शुल्क, दान, अनुदान, एवं सरकारी अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों से ली गई राशियां निहित होगी।

ब) संस्था के कोष की व्यवस्था के लिए इसके खाते किसी राष्ट्रीकृत/मान्यता प्राप्त बैंक में खोले जायेंगें जिसका संचालन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरो द्वारा किया जाएगा।

13– *संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण {आडिट } :–*

संस्था के वर्ष भर के आय–व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा करवाया जायेगा।

14– संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाहियों के संचालन का उत्तरदायित्व :–
अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध होने वाले मुकदमें अपने जनपदीय न्यायालय में सुलझाये जायेगें एवं समस्त मुकदमों, वाद–प्रतिवादों की पैरवी सचिव के द्वारा की जायेगी ।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ0 प्र0)

Principal
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Manager
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Scanned with AltaScanner

15– संस्था के अभिलेख

1– सदस्यता रजिस्टर
2– कार्यवाही रजिस्टर
3– सूचना रजिस्टर
4– स्टाक रजिस्टर
5– कैश बुक ।

16– संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजि० की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

दिनांक..................

सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर

प्रतिलिपि कर्ता....
मिलान कर्ता....

सत्य - प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

Principal
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Manager
P.L.S. GLOBAL SCHOOL
Kurmauta, Manjhariya, Hata
Kushinagar (U.P.)

Scanned with AltaScanner